फाइल नं0-71-1001(099)/108/2021

139/2023/1/410134/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 18 अक्टूॅबर, 2023

विषयः-वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में स्थित 50 शैय्या प्राइवेट वार्ड के जीर्णोद्धार हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किया जाना।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2023-24/498, दिनांक 20.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में स्थित 50 शैय्या प्राइवेट वार्ड के जीर्णोद्धार हेतु धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में स्थित 50 शैय्या प्राइवेट वार्ड के जीर्णोद्धार हेतु प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आकलित लागत रू0 1212.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-7/2021/4138/71-1-2020-जी-65/2018टी0सी, दिनॉक 11.01.2021 द्वारा निर्गत की गयी। तदोपरान्त शासनादेश संख्या-23/2022/1/139001/2022/71-1001(099)/108/ 2021, दिनांक 08.02.2022 द्वारा रू0 406.10 लाख एंव शासनादेश संख्या-134/2022/1/251127/2022/71-1001(099)/108/ 2021, दिनांक 21.12.2022 द्वारा रू0 303.055 लाख, इस प्रकार प्रायोजना हेतु कुल रू0 909.155 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 20.09.2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर से सम्बद्ध लाला लाजपत राय चिकित्सालय परिसर में स्थित 50 शैय्या प्राइवेट वार्ड के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-4210-03-105-68- राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार 24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि से प्रश्नगत प्रायोजना हेतु अंतिम किश्त के रूप में **रू0 303.065 लाख (रू0 तीन करोड़ तीन लाख छः हजार पॉच सौ मात्र)** इस शर्त के अधीन अवमुक्त की जाती है कि कार्यपूर्ति, गुणवत्ता, बिल्डिग हस्तान्तरण आदि की समस्त जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनॉक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।
6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

   शासनादेश संख्या-7/2021/4138/71-1-2020-जी-65/2018टी0सी, दिनॉक 11.01.2021 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,03,06,500 (रुपये तीन करोड़ तीन लाख छह हजार पांच सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031056800 राजकीय मेडिकल कालेजों का जीर्णोद्धार मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 , दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. श्री आनन्द कुमार त्रिपाठी, उप सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर ।
7. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।